कार्यालय, क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, दरभंगा।

ज्ञापांक–1–3/2016– परि0, दिनांक–

सूचना

निम्नांकित तालिका में अंकित वाहन स्वामियों को सूचित किया जाता है कि आयुक्त–सह–अध्यक्ष क्षे0 परि0 प्रा0, द्वारा तालिका के कंडिका–3 में अंकित वाहनों को परमिट निर्गत करने की स्वीकृति प्रदान की गई है। परमिट निर्गत करने से पूर्व वाहन पर निम्नांकित जानकारी का अंकन व कागजातों का संधारण करना आवश्यक है–

1. स्टेजवार दूरी एवं सरकार द्वारा निर्धारित भाड़ा तालिका एवं सम्पूर्ण समय–सारणी का वाहन पर अंकन (दरवाजे के पास बाहर की तरफ)।
2. 15 कि0ग्रा0 भार तक का सामान प्रति यात्री निःशुल्क ढ़ाये जाने संबंधी जानकारी का वाहन के भीतर एवं बाहरी भाग पर बरे अक्षरों में साफ–साफ अंकित करना।
3. दाखिल आवेदन/परमिट के अनुसार मार्ग का नाम भाया सहित वाहन के आगे (विन्ड स्क्रीन के उपरी भाग में) एवं पीछे वाहन के रंग से विषम चमकीले रंग से अंकित करना।
4. परमिट संख्या एवं वैद्यता की तिथि (आगे व पीछे भी) तथा निर्गत प्राधिकार का नाम।
5. प्रथम चिकित्सा बॉक्स (First Aid Box) का संधारण।
6. महिलाऐं एवं दिव्यांग यात्रियों के लिए आरक्षित सीटों की जानकारी का अंकन।
7. वाहन में शिकायत पुस्तिका उपलब्ध है का अंकन एवं संधारण।
8. वाहन चालक एवं कन्डक्टर का नाम (चालक सीट के दाहिने वाहन के बाहरी एवं वाहन के अंदर शिकायत पुस्तिका अंकन वाले स्थान के पास)।
9. परमिट के मार्ग में पड़ने वाले संबंधित थाना का नाम (मोबाईल नंबर सहित) वाहन के पीछे (बाहरी भाग) वाहन के रंग से अलग चमकीले रंग से अंकित कराना।

क्रम सं0	वाहन स्वामी का नाम	वाहन संख्या	आवेदन की तिथि	मार्ग
1	2	3	4	4
1	श्रीमती कामोद देवी	BR-06PA-5656	07.07.2017	नयाटोला से लहेरियासराय
2	मो0 जाकीर	BR07PA-9973	07.08.2017	पिपरौन राजघाट से दरभंगा
3	श्री संतोष कुमार	BR7P-1155	07.08.2017	रोसड़ा से समस्तीपुर
4	श्रीमती आभा देवी	BR09H-8510	05.08.2017	बेगुसराय से दरभंगा
5	श्री महेश प्रसाद साह	BR07P-3330	07.08.2017	सकरी से रोसड़ा
6	श्री प्रतीक कुमार सिंह	New Bus	07.09.2017	दरभंगा से विरपुर

अतः उपरोक्त तालिका से संबंधित वाहन स्वामियों को सूचित किया जाता है कि सूचना निर्गत होने की तिथि से 30 दिनों के अंदर उपरोक्त कंडिकाओं में उल्लेखित विवरण को वाहन में अंकित कराते हुए साक्ष्य के तौर पर कम से कम 8 (आठ) स्वहस्ताक्षरित फोटोग्राफ एवं वाहन का सभी आवश्यक अद्यतन मान्य कागजात कार्यालय में समर्पित करना सुनिश्चित करें। ताकि वाहन का भौतिक निरीक्षणोपरांत स्वीकृत परमिट के निर्गमन पर विचार किया जा सके।

ह0/–
संयुक्त आयुक्त–सह–सचिव,
क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, दरभंगा।

ज्ञापांक–1–3–/2016– 1183 /परि0 दिनांक– 14/11/2017

प्रतिलिपि– आयुक्त के सचिव, दरभंगा प्रमण्डल, दरभंगा को सूचनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि– डी0आई0ओ0, एन0आई0सी0,दरभंगा से अनुरोध है कि एन0आई0सी0,दरभंगा के बेबसाईट पर आर0टी0ए0 (Regional Transport Authority) लिंक पर अपलोड करने का कष्ट करें। उक्त सूचना की Soft Copy में संलग्न है।

प्रतिलिपिः– सभी संबधित वाहन स्वामियों को सूचनार्थ एवं अनुपालनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपिः– जिला परिवहन पदाधिकारी एवं मोटरयान निरीक्षक, दरभंगा को सूचनार्थ प्रेषित।

14.11.17

संयुक्त आयुक्त–सह–सचिव,
क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, दरभंगा।